



अध्याय-I
परिचय

अध्याय-I परिचय

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

यह प्रतिवेदन बिहार सरकार (बि.स.) के कृषि विभाग के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कुछ चयनित विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है।

प्रतिवेदन के इस खण्ड का प्राथमिक उद्देश्य वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण सार के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विधान मंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से यह अपेक्षा है कि वह कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ नीतियों और निर्देशों के निर्माण हेतु सक्षम बनाएगा, जो संस्था के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर रूप से आगे करेगा, इस तरह से अधिक अच्छा शासन और बेहतर सार्वजनिक सेवा देने में योगदान करेगा।

इस प्रतिवेदन में पाँच अध्याय शामिल हैं। यह अध्याय विभागों के व्यय एवं लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं उन पर की गई कार्रवाई पर सरकार की प्रतिक्रिया का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है। अध्याय-II से V वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा पर विस्तृत निष्कर्षों और अवलोकनों को प्रस्तुत करता है।

1.2 लेखापरीक्षिती रूपरेखा

राज्य में 44 विभाग हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹2,45,522.62 करोड़ के कुल बजट के विरुद्ध राज्य ने कुल ₹1,67,915.40 करोड़ व्यय किया।

1.3 सरकार की प्रतिक्रिया

1.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार लेनदेन की नमूना-जाँच द्वारा सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षण का संचालन तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करता है। इन निरीक्षणों के पश्चात चार सप्ताह के अन्दर जवाब प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ, कार्यालय प्रमुख को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किया जाता है। लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान पाये गए महत्वपूर्ण अनियमितताओं का निपटान कार्य-स्थल पर नहीं किये जाने की स्थिति में, इन्हें निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों, अगले उच्च प्राधिकारियों को प्रतिलिपि के साथ जारी किया जाता है।

जब भी जवाब प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्ष का या तो निपटान किया जाता है या अनुपालन के लिए अग्रेत्तर कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में चिह्नित किए गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की प्रक्रिया की जाती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाते हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य के 128 आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) और चार स्वायत्त निकायों का अनुपालन लेखापरीक्षा कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार द्वारा संचालित किया गया था।

गंभीर अनियमितताओं को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अर्धवार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से विभागों के प्रमुखों के भी ध्यान में लाए गए थे।

सितम्बर 2020 तक 39 विभागों से संबंधित 2,538 आहरण एवं संवितरण अधिकारी को जारी की गई निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से 5684 निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित ₹10,82,916.30 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 42,348 कंडिकाएं 31 मार्च 2021 के अंत तक लंबित रहे उद्घाटित हुआ जैसा कि तालिका 1.1 में दिखाया गया है। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिका और अनियमितताओं के प्रकार की वर्ष-वार स्थिति परिशिष्ट-1.1 और परिशिष्ट-1.2 में क्रमशः वर्णित है:

तालिका सं.1.1
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएं

क्रम संख्या	अवधि	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रतिशत)	लंबित कंडिकाओं की संख्या (प्रतिशत)	शामिल राशि (₹ करोड़ में)
1	1 वर्ष से कम	55 (01)	704 (2)	1,95,818.91 (18)
2	1 से 3 वर्षों तक	1,159 (20)	11147 (26)	6,70,458.88 (62)
3	3 वर्षों से अधिक से 5 वर्षों तक	1,953 (35)	14511 (34)	80,373.02 (7)
4	5 वर्षों से अधिक	2,517 (44)	15986 (38)	1,36,265.48 (13)
	कुल	5,684	42,348	10,82,916.30

*कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

विभागीय अधिकारी निर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कार्रवाई करने में असफल रहे, परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षरण हुआ।

अनुशंसा

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर त्वरित एवं उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मामलों को देखें।

1.3.2 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सरकार की प्रतिक्रिया (निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं)

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियाँ कार्यान्वयन तथा आंतरिक नियंत्रणों के गुणवत्ता में महत्वपूर्ण कमियों पर सूचना दी है, जिसका चयनित विभागों के कार्यक्रमों और कार्यकलापों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मुख्य ध्यान विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा और कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई एवं नागरिकों को सेवा प्रदान करने में सुधार के लिए उचित सिफारिश प्रदान करने पर था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन 2020 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों को छः सप्ताह के अन्दर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल होने के लिए प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं पर उनकी प्रतिक्रिया भेजने की आवश्यकता है। प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप प्रतिवेदन और कंडिकाओं को विभागों के प्रमुखों को उनके जवाब प्राप्त करने के लिए अग्रेसित किया गया था। यह विभागों के प्रमुख के व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया कि राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश किए जाने वाले भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में ऐसे कंडिकाओं के संभावित समावेश को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में उनकी टिप्पणियाँ शामिल करना वांछनीय होगा। उन्हें प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार से मिलने की भी सलाह दी गई थी।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 के लिए, "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" पर निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में सरकार का जवाब एवं "वित्त विभाग में आंतरिक नियंत्रण" पर वित्त विभाग का जवाब प्राप्त हुआ। यद्यपि, *अवसर बढ़ आगे बढ़े* के तहत" स्थापित अभियंत्रण एवं पॉलिटिकल संस्थानों की कार्यपद्धति" विषय पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था।

1.3.3 निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान सरकार और लेखापरीक्षित इकाईयों की प्रतिक्रिया

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 18 (1) (ब) अनुबंध करता है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार होगा कि वह कोई लेखे, बहियाँ और अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकता है जो उन संव्यवहारों जिनकी लेखापरीक्षा की बाबत उसके कर्तव्यों का विस्तार है के बारे में हो या उनका आधार हो या उनसे सुसंगत हो। इस प्रावधान को लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन 2020 के नियम 181 द्वारा पुनः विस्तारित किया गया है, जो यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक विभाग अथवा इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित आकड़े, सूचना तथा दस्तावेज उसे समय पर उपलब्ध कराए गए हैं, एक तंत्र स्थापित करेगा तथा कार्यान्वित करेगा।

ऐसे स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, लेखापरीक्षा के समक्ष अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के कई मामले हैं। यद्यपि इस तरह के मामले प्रत्येक अवसर पर प्राधिकारियों के संज्ञान में लाए जाते हैं, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई समान रूप से शीघ्र एवं प्रभावी नहीं है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 के लिए एक निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) और दो विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं। हालांकि, कई मामलों में बार-बार प्रयासों के बावजूद लेखापरीक्षा दलों द्वारा मांगे गए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे और लेखापरीक्षा के दौरान जारी लेखापरीक्षा ज्ञापनों के जवाब उपलब्ध नहीं कराए गए थे। लेखापरीक्षित 93 इकाईयों में से 71 ने लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए कतिपय अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया, जिसका विवरण **परिशिष्ट-1.3** में है।

अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण गंभीर रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश के कयावद को परिसीमित करता है और परिणामस्वरूप राज्य सरकार के पदाधिकारियों के जवाबदेही में कमी और धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन, गबन आदि का लोप हो सकता है। राज्य सरकार को उचित कार्रवाई करने सहित अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के प्रत्येक मामलों को चिन्हित करते हुए, सतर्कता के दृष्टिकोण से संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया जाता है।

एक निष्पादन लेखापरीक्षा और दो विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के संबंध में जारी 1,266 लेखापरीक्षा ज्ञापनों में से, 266 लेखापरीक्षा ज्ञापनों का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था तथा छः लेखापरीक्षा ज्ञापनों के संबंध में केवल आंशिक जवाब प्राप्त हुए थे जिसका विवरण **परिशिष्ट-1.3** में है।

1.3.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कृत कार्रवाई

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली के लिए प्रक्रिया के नियम के अनुसार प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले.प.प्र.) में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करनी थी, चाहे लोक लेखा समिति द्वारा इनकी जाँच की गई हो या नहीं। उन्हें लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित

विस्तृत टिप्पणियों को विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के दो माह के भीतर की गई या प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई का वर्णन प्रस्तुत करने थे।

31 मार्च 2020 की अवधि तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर 30 सितम्बर 2021 तक कृत-कार्रवाई टिप्पणियों (ए.टी.एन.) की प्राप्ति की वस्तुस्थिति तालिका 1.2 में दी गई है।

तालिका 1.2

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा.सा. एवं आ.प्र.) में सम्मिलित कंडिकाओं पर विभागीय कृत-कार्रवाई की प्राप्ति के संबंध में स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	30 सितम्बर 2021 तक लंबित कृत-कार्रवाई टिप्पणियाँ (कंडिकाओं की संख्या)	राशि मूल्य (₹ करोड़ में)	राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	कृत-कार्रवाई टिप्पणियाँ की प्राप्ति की नियत तिथि
2017-18	12	896.66	23.03.2021	23.05.2021
2018-19	5	1,876.53	29.07.2021	29.09.2021
2019-20	राज्य विधानसभा में अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया।			

उपर्युक्त तालिका लेखापरीक्षा अवलोकनों पर विभागों की धीमी प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

1.3.5 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वसूली

लेखापरीक्षा निष्कर्ष में शामिल वसूली जो राज्य सरकारों के विभागों के लेखों के नमूना-जाँच के दौरान पाए गए को संबंधित प्राधिकारियों की पुष्टि एवं लेखापरीक्षा को सूचना के अन्तर्गत अग्रिम आवश्यक कार्रवाई के लिए संदर्भित है।

1.4 राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुतीकरण की स्थिति

राज्य में छः स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया था जिसमें से चार स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षाओं को सौंपने का नवीकरण नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा के सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखाओं का प्रस्तुतीकरण, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन और विधानमंडल में इसकी प्रस्तुतीकरण **परिशिष्ट-1.4** में दर्शायी गई हैं।